

राजस्थान सरकार
कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर
विमान भवन, गोपालबाडी, जयपुर

क्रमांक/फा/स्टोर/भूप्रआ/ 09 /2018-19/

दिनांक:-

बिड सूचना संख्या 07/2018-19

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, गोपालबाडी, जयपुर से DILRMP योजनान्तर्गत विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आधुनिक सर्वे यंत्रों का प्रशिक्षण देने बाबत प्रशिक्षण स्थल तक लाने व ले जाने के लिये मिनी बस (20-25 सीटर)/ टैक्सी कार उपलब्ध कराने हेतु मोहरबन्द बिड दिनांक 14.06.18 को अपराह्न 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं	विवरण	अनुमानित राशि	बिड प्रपत्र शुल्क	अमानत राशि	वैधता अवधि
1	DILRMP योजनान्तर्गत विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को आधुनिक सर्वे यंत्रों का प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण स्थल तक लाने व ले जाने के लिये मिनी बस (20-25 सीटर) उपलब्ध कराने हेतु	2.00 लाख	200.00	4000.00	90 दिन
	टैक्सी कार indigo/Swift desire/indico/ETIOS (05 सीटर/07 सीटर/10 सीटर) प्रतिदिन/घण्टे के हिसाब से				

- बिड प्रपत्र, बिड सूचना से सम्बन्धित नियम, शर्तें सम्बन्धी दस्तावेज कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, विमान भवन, गोपालबाडी जयपुर के कार्यालय से दिनांक 30.05.18 से दिनांक 13.06.18 तक कार्यालय समय में कैशियर से निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है या राज्य लोक उपापन पोर्टल (<http://sppp.rajasthan.gov.in>) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। बिड निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। डाउनलोड बिड प्रपत्र बिना बिड प्रपत्र शुल्क जमा कराये स्वीकार योग्य नहीं है।
- बिड सीलबन्द लिफाफे में, जिसके ऊपर “प्रशिक्षण हेतु मिनी बस (20-25 सीटर) एवं टैक्सी कार उपलब्ध उपलब्ध कराने बाबत/ टैक्सी कार 05 सीटर/07 सीटर/ 10 सीटर प्रतिदिन/घण्टे के हिसाब से अंकित हो, कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 14.06.18 को अपराह्न 2:00 बजे तक व्यक्तिशः/डाक द्वारा पहुँच जानी चाहिये। प्राप्त बिड उसी दिन 3:00 बजे उपस्थित बिडदाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय क्रय समिति द्वारा अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त, कक्ष में खोली जावेगी।
- निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
- विभागीय क्रय समिति न्यूनतम दर वाली बिड को स्वीकार किये जाने के लिए बाध्य नहीं हैं तथा वह किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकेगी।
- भरी हुई बिड के साथ अमानत राशि का नकद की रसीद /बैंकर चैक/डी.डी. संलग्न करना अनिवार्य है। बैंकर चैक/डी.डी. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में दिया जावे।

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक:-

क्रमांक/फा/समसंख्यक/

- नोटिस बोर्ड संभागीय आयुक्त/कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर

अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

बिड प्रपत्र

अन्तिम तिथि:-

समय:-

राजस्थान सरकार
कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर
विमान भवन, गोपालबाडी, जयपुर

1. प्रशिक्षण हेतु मिनी बस (20-25 सीटर) एवं टैक्सी कार 05 सीटर/ 07 सीटर/ 10 सीटर प्रतिदिन/घण्टों के हिसाब से उपलब्ध कराने बाबत द्विभाग (तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव)बिड।
2. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता व मोबाईल नम्बर.....
.....
.....
3. किसको सम्बोधित किया गया:- कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. संदर्भ क्रमांक :
5. हम अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई गई बिड क्रमांक/फा/स्टोर/भूप्रआ/ 09 /2018-19 / दिनांक 29.05.18 .में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न प्रपत्र में दी गई उक्त बिड सूचना में अंकित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों के हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।)
6. बिड में आमंत्रित दरे अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। अवधि को आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
7. दरो पर जी.एस.टी अलग से देय है। उसका स्पष्ट उल्लेख दरो में किया जावे।
8. दर अनुमोदित होने के बाद प्रशिक्षण हेतु मिनी बस/कार टैक्सी उपलब्ध कराने की सूचना अलग से दी जायेगी। बस/कार टैक्सी उपलब्ध कराने की अवधि बढ़ायी अथवा घटायी जा सकती है। जिसके लिए बिडदाता मिनी बस/ कार टैक्सी उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।
9. बिड की दरे स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंकों में अंकित की जावे, कटिंग नही करे। अगर कोई कटिंग है तो पूर्ण हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें।
10. बिड प्रपत्र में अंकित शर्तों के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई शर्त अंकित नही की जावे। सशर्त बिड स्वीकार नही की जावेगी।

11. जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पैन न. की प्रति कानूनन आवश्यकता होने पर प्रस्तुत करनी होगी।
12. प्रशिक्षण हेतु मिनी बस (20-25 सीटर) एवं टैक्सी कार 05 सीटर/ 07 सीटर/ 10 सीटर प्रतिदिन/घण्टों के हिसाब से उपलब्ध कराने बाबत अनुबन्ध अवधि के दौरान कुल व्यय अनुमानित राशि अधिक/कम हो सकती है।
13. राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के उपनियम-29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन प्रशिक्षण हेतु मिनी बस (20-25 सीटर) उपलब्ध कराने बाबत दरे खण्ड अध्यक्षीन होंगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा दर से कम दर पर सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुये पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जावेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमते तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जावेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जावेगा।
14. बोली दस्तावेजो मे परिवर्तन:- बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय-सीमा से पूर्व किसी भी समय, उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामस्वरूप, राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 23 के उपबंधो के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजो को उपान्तरित कर सकेगी।
15. बिडदाताओं को अमानत राशि के बतौर निविदा सूचना में उल्लेखित अमानत राशि बिड के साथ जमा करानी होगी।
16. बिड दिनांक 14.06.18 को दोपहर 2.00 बजे तक मोहरबन्द लिफाफे में कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर में प्रस्तुत करनी होगी।

17. प्राप्त बिडें दिनांक 14.06.18 को अपराह्न 3.00 बजे गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदादाता/प्रतिनिधी के समक्ष खोली जावेगी।
18. स्वीकृत बिडदाता को 500/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करना होगा।
19. स्वीकृत बिडदाता को प्रतिभूति की रकम के रूप में आदेशित राशि का 5 प्रतिशत जमा करवाने होंगे, जो नियमानुसार कार्य पूर्ण होने पर लौटा दिये जावेगे। सफल बिडदाता की अमानत राशि के पेटे जमा राशि/प्रतिभूति राशि में समायोजित की जायेगी।
20. बिड खोलते समय पहले तकनीकी प्रस्ताव खोले जावेगे। तकनीकी रूप से योग्य बिडदाताओं के वित्तीय प्रस्ताव ही खोले जावेगे।
21. सफल बिडदाता उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 की शर्तों को मानने हेतु बाध्य होगा तथा बिड प्रपत्र शर्तों की प्रस्तुत सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा।
22. बिडदाता लिफाफे पर बिड सूचना का “प्रशिक्षण हेतु मिनी बस/ कार टैक्सी उपलब्ध कराने बाबत” अवश्य अंकित करे।
23. बिड के सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग के पास सुरक्षित है। इस हेतु बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त किया जा सकता है।
24. किसी भी विवाद की स्थिति में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 के नियम में उल्लेखित प्रावधान लागू होंगे। समस्त वाद का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
25. तकनीकी प्रस्ताव के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से तकनीकी बिड का उल्लेख किया जावेगा तथा वित्तीय प्रस्ताव के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से वित्तीय बिड का उल्लेख किया जावेगा।
26. तकनीकी प्रस्ताव के लिफाफे में बिड फार्म, अमानत राशि डी.डी./बैंकर चैक, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, वाहन का बीमा पॉलिस बॉण्ड की प्रति, फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं वाहन के स्वामित्व से सम्बन्धित दस्तावेज रखे जावेगे।
27. उपलब्ध कराई जाने वाली मिनी बस एवं टैक्सी कार के डीजल/पैट्रोल, वाहन चालक एवं मेंटीनेन्स का व्यय बिडदाता द्वारा वहन किया जावेगा।
28. मिनी बस एवं टैक्सी कार के संबंध में किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए बिडदाता के प्रति विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। समस्त जिम्मेदारी बिडदाता की ही होगी।
29. टैक्सी कार चालक के पास टैक्सी कार/मिनी बस चालक के पास मिनी बस का परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्धारित ड्राईविंग लाईसेन्स होना अनिवार्य होगा।

30. फर्म द्वारा जिस भी चालक को मिनी बस एवं टैक्सी कार चलाने हेतु अधिकृत किया जावेगा, उसका पहचान प्रमाण-पत्र, फोटो एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्धारित ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।
31. वाहन चालक के संबंध में सभी प्रकार की कानूनी बाध्यता पूर्ण करने हेतु सफल बिडदाता स्वयं उत्तरदायी होगा। विभाग का इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
32. सफल बिडदाता आदेशानुसार निर्धारित तिथि को नियत समय पर मिनी बस एवं कार टैक्सी उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा। बिडदाता द्वारा उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में अनुमोदित दर पर विभाग को वाहन उपलब्ध कराने का अधिकार होगा व आवश्यकता होने पर विभाग द्वारा बिडदाता पर शास्ति लगाने के लिए स्वतंत्र होगा।
33. सफल बिडदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के खराब हो जाने की स्थिति में अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करानी होगी।
34. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 80 एवं 81 के अन्तर्गत सत्यनिष्ठा संहिता एवं हित के विरोध के प्रावधान एनेक्जर-4 के अनुसार बिडदाता पर लागू होंगे तथा नियम-83 से 85 के अन्तर्गत अपील के संबंध में एनेक्जर-13 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

बिड दाता के नाम हस्ताक्षर मय सील

बिडदाताओं द्वारा घोषणा

मैं हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने प्रशिक्षण हेतु मिनी बस/कार टैक्सी प्रतिदिन/घण्टों के हिसाब से बाबत निविदा की शर्तों को ढंग से पढ़ा एवं समझा है तथा हम निविदा की शर्तों को मानने हेतु बाध्य है।

यदि यह घोषणा की पालना नहीं की जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

बिड दाता के हस्ताक्षर मय सील

बिडदाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन नं (निवास)

(कार्यालय)

प्रशिक्षण हेतु मिनी बस (25 सीटर) एवं टैक्सी कार उपलब्ध कराने बाबत तकनीकी प्रस्ताव

क्र. सं.	नाम सामग्री	मेक एवं कार्य का अनुभव सम्बन्धी विवरण
1	2	3
1	<p>1. NLRMP योजनान्तर्गत विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को आधुनिक सर्वे यंत्रों का प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण स्थल तक लाने व ले जाने हेतु मिनी बस (20-25 सीटर) उपलब्ध कराने हेतु</p> <p>2. टैक्सी कार indigo/Swift desire/Indica/ETIOS 05 सीटर/ 07 सीटर/10 सीटर प्रतिदिन/घण्टों के हिसाब से</p>	

1. बिड प्रपत्र शुल्क जमा नकद रसीद क्रमांक दिनांक.....
डी.डी./चैक नं..... दिनांक.....
2. अमानत राशि जमा रसीद क्रमांक दिनांक
डी.डी./चैक नम्बर..... दिनांक
3. जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पैन न. की प्रति संलग्न है।
4. वाहन का रजिस्ट्रेशन व फिटनेस प्रमाण-पत्र संलग्न है/नही है।

हस्ताक्षर बिडदाता
फर्म का नाम.....
.....
मो0/फोन नं0.....

**प्रशिक्षण हेतु मिनी बस (20-25 सीटर) एवं टैक्सी कार उपलब्ध कराने बाबत
वित्तीय प्रस्ताव**

क्र. सं.	नाम सामग्री	दर मय वाहन, डीजल, चालक एवं मेंटीनेन्स			जी.एस.टी
		प्रति घण्टा	प्रतिदिन	प्रति किमी०	
1	2	3			
1	1. NLRMP योजनान्तर्गत विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को आधुनिक सर्वे यंत्रों का प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण स्थल तक लाने व ले जाने हेतु मिनी बस (20-25 सीटर) उपलब्ध कराने हेतु	ए.सी.			
		नॉन ए.सी.			
	2. टैक्सी कार 05 सीटर	ए.सी.			
		नॉन ए.सी.			
	3. टैक्सी कार 07 सीटर	ए.सी.			
		नॉन ए.सी.			
	4. टैक्सी कार 10 सीटर	ए.सी.			
		नॉन ए.सी.			

नोट:- जी.एस.टी यदि कोई हो, की दर अलग से संबंधित की जावे।

हस्ताक्षर बिडदाता

फर्म का नाम.....

मो०/फोन नं०.....

Annexure A : Comparative with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall

- a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement or to otherwise influence the procurement process.
- b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d) not misuse of any information shared between the procuring entity and the Bidders with not an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e) not indulge in any corecion including imparing or harming or threatening to do the same directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- f) not obstruct any investigation or audit of procurement process;
- g) disclose conflict of interest,if any; and
- h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of Interest.

A contract of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No. Dated I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I /we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administrated by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my /our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure B: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the **First Appellate Authority is Secretary, Revenue Rajasthan Secretariat, Jaipur.**

The designation and address of the **Second Appellate Authority is Secretary, Finance Rajasthan Secretariat, Jaipur.**

1) Filing an appeal

If any Bidder or Prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose Technical Bid is found to acceptable.

- 2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.
- 3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4) Appeal not lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- a) determination of need of procurement;
- b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid Process;
- c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- d) cancellation of a procurement process;
- e) applicability of the provisions of confidentiality.

5) Form of Appeal

- a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with us many copies as there are respondents in the appeal.
- b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appeal Authority, as the case may be, in person or through registered post of authorized representative.

6) Fee or filling appeal

- a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7) Procedure for disposal of appeal

- a) The First Appellate Authority or second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents if any, to the respondents and fix date of hearing.
- b) on the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
 - i. hear all the parties to appeal present before him; and
 - ii. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012.

Appeal No. of

Before the (First/Second Appeal Authority)

1. Particulars of appellant:

i. Name of Appellant: Settlement Commissioner, Rajasthan, jaipur

ii. Official Address, if any:

iii. Residential Address:

2. Name and address of the respondent(s):

i. Revenue Secretary, Rajasthan Secretariat, jaipur.

ii.

iii.

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who have passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
.....(supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....

Place.....

Date.....

Appellant Signature

राजस्थान सरकार
कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर
विमान भवन, गोपालबाडी, जयपुर

क्रमांक/फा/स्टोर/भूप्रआ/10/2017-18/

दिनांक:-

बिड सूचना

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, गोपालबाडी, जयपुर से DILRMP योजनान्तर्गत विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आधुनिक सर्वे यंत्रों का प्रशिक्षण देने बाबत प्रशिक्षण स्थल तक लाने व ले जाने के लिये मिनी बस (20-25 सीटर)/ टैक्सी कार उपलब्ध कराने हेतु मोहरबन्द बिड दिनांक 18.07.2017 को अपराह्न 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं	विवरण	अनुमानित राशि	बिड प्रपत्र शुल्क	अमानत राशि
1	DILRMP योजनान्तर्गत विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आधुनिक सर्वे यंत्रों का प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण स्थल तक लाने व ले जाने के लिये मिनी बस (20-25 सीटर) उपलब्ध कराने हेतु	2.00 लाख	200.00	4000.00
	टैक्सी कार indigo/Swift desire/indico/ETIOS (05 सीटर/07 सीटर/10 सीटर) प्रतिदिन/घण्टे के हिसाब से			

6. बिड प्रपत्र, बिड सूचना से सम्बन्धित नियम, शर्तें सम्बन्धी दस्तावेज कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, विमान भवन, गोपालबाडी जयपुर के कार्यालय से दिनांक 06.07.2017 से दिनांक 17.07.2017 तक कार्यालय समय में कैशियर से निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है या राज्य लोक उपापन पोर्टल (<http://sppp.rajasthan.gov.in>) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। बिड निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। डाऊनलोड बिड प्रपत्र बिना बिड प्रपत्र शुल्क जमा कराये स्वीकार योग्य नहीं है।
7. बिड सीलबन्द लिफाफे में, जिसके ऊपर “प्रशिक्षण हेतु मिनी बस (20-25 सीटर) एवं टैक्सी कार उपलब्ध उपलब्ध कराने बाबत/ टैक्सी कार 05 सीटर/07 सीटर/ 10 सीटर प्रतिदिन/घण्टे के हिसाब से अंकित हो, कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 18.07.2017 को अपराह्न 2:00 बजे तक व्यक्तिशः/डाक द्वारा पहुँच जानी चाहिये। प्राप्त बिड उसी दिन 3:00 बजे उपस्थित बिडदाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय क्रय समिति द्वारा अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त, कक्ष में खोली जावेगी।
8. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
9. विभागीय क्रय समिति न्यूनतम दर वाली बिड को स्वीकार किये जाने के लिए बाध्य नहीं हैं तथा वह किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकेगी।
10. भरी हुई बिड के साथ अमानत राशि का नकद की रसीद /बैंकर चैक/डी.डी. संलग्न करना अनिवार्य है। बैंकर चैक/डी.डी. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में दिया जावे।

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:-

क्रमांक/फा/समसंख्यक/

1. नोटिस बोर्ड संभागीय आयुक्त/कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर

अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

